राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–4) विभाग

क्रमांक प. 16(13) सा.प्र/4/13 जयपुर, दिनांक 21/5/15

1. अति0 आवासीय आयुक्त, बीकानेर हाउस, नई दिल्ली।
2. प्रबन्धक, राजस्थान हाऊस/जोधपुर हाऊस /चाणक्यपुरी गेस्ट हाऊस, नई दिल्ली।
3. प्रबन्धक, ट्रांजिट होस्टल, गांधीनगर, जयपुर।
4. समस्त प्रबंधक, विश्राम भवन, राजस्थान।

विषयः–महालेखाकार के निरीक्षण प्रतिवेदनों/अनुच्छेदों के शीघ्र निस्तारण के संबंध मे।

संदर्भः–वित्त विभाग का पत्रांक दिनांक 28.04.2015।

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र की प्रति संलग्न कर लेख है कि प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार आपके कार्यालय के बकाया चल रहे निरीक्षण प्रतिवेदनों/अनुच्छेदों की पालना इस विभाग की टिप्पणी हेतु शीघ्र प्रेषित कराया जाना सुनिश्चित करावें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(डॉ. मनीष शुक्ला)
मुख्य लेखाधिकारी

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
अंकेक्षण अनुभाग

क्रमांक : प.13(116)वित्त/अंकेक्षण/91 जयपुर, दिनांक : 28/4/2015

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/
प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषय : महालेखाकार के निरीक्षण प्रतिवेदनों/अनुच्छेदों के शीघ्र निस्तारण बाबत।

महोदय,

OS(A)GAD

महालेखाकार के निरीक्षण प्रतिवेदनों/अनुच्छेदों के लिए समय पर वांछित कार्यवाही एवं अनुपालना नहीं करने के फलस्वरूप विभिन्न विभागों में काफी संख्या में निरीक्षण प्रतिवेदन/अनुच्छेद बकाया चल रहे हैं। अतः इस सम्बन्ध में पुनः ध्यान आकर्षित किया जाकर अनुरोध है कि निम्नानुसार कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश प्रदान करावें–

1–महालेखाकार के अंकेक्षण दल द्वारा किसी भी प्रकार की अनियमितता बताये जाने पर उसका सत्यापन अभिलेख के आधार पर कर लिया जावे ताकि किसी अनियमितता विशेष का निस्तारण स्थल पर ही किया जा सके।

2–अंकेक्षण दल के कार्य के अन्तिम दिन संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष मुख्यालय पर ही उपस्थित रहें ताकि वे दल से विचार–विमर्श कर आक्षेपों के संबंध में तथ्यों को सत्यापित कर सके तथा अंकेक्षण द्वारा बताए गए सुझावों का लाभ प्राप्त कर सके।

3–निरीक्षण प्रतिवेदनों में दर्शायी गई अनियमितताओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिये आवश्यक निर्देश जारी कर सुनिश्चित किया जावे कि भविष्य में वैसी अनियमितताएं जारी नहीं रहें तथा प्रकियात्मक सुझावों को अमल में लाया जावे।

4–निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्ति के एक माह की अवधि में बिन्दुवार प्रथम अनुपालना रिपोर्ट महालेखाकार को प्रेषित कर दी जावे। विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष अनुपालना की स्थिति की मासिक समीक्षा करें तथा अनुपालना रिपोर्ट निर्धारित अवधि में भिजवाना सुनिश्चित करावें।

5–अंकेक्षण प्रतिवेदनों में गंभीर अनियमितता/राजकीय राशि का दुर्विनियोजन/गबन आदि पाये जाने पर अविलम्ब नियमानुसार कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावे।

6–प्रत्येक विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष स्तर पर इस प्रकार के निरीक्षण प्रतिवेदनों के निस्तारण के लिये पृथक से पंजिका संधारित की जावे ताकि निर्धारित समयावधि में अनुपालना की समीक्षा की जा सके।

कमरा नं.4108, मुख्य भवन, शासन सचिवालय जयपुर फोन 2227450
वेब–साईट www.finance.rajasthan.gov.in ई–मेल dsfaudit@rajasthan.gov.in

9.7

7–महालेखाकार के निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से जैसे ही अनियमितता विभाग/शासन के ध्यान में आये, तत्सम्बन्धी उत्तरदायित्व निर्धारण कर उचित कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावे।

8–पॉच वर्ष से अधिक पुराने बकाया अनुच्छेदों के निरस्त नहीं होने के कारणों का विस्तृत विवरण आडिट समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जाये। इन पर विस्तृत विचार–विमर्श किया जाकर विशेष प्रयासों के माध्यम से अनुच्छेद निरस्त कराने बाबत प्रकिया निश्चित की जावे।

उपरोक्त सभी बिन्दुओं की अनुपालना निर्धारित समयावधि में कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

27/04/11

(प्रेम सिंह मेहरा)
प्रमुख शासन सचिव, वित्त

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1.सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
2.प्रधान महालेखाकार, (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) राजस्थान, जयपुर।
3.प्रधान महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) राजस्थान, जयपुर।
4.सिस्टम एनालिस्ट एवं संयुक्त निदेशक वित्त विभाग।

संयुक्त शासन सचिव